पत्रांक–भवन/विधि–विविध–19/2017............1092(अ)/

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

Email/Fax

सभी कार्यपालक अभियंता–सह,
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
भवन निर्माण विभाग (लखीसराय/शेखपुरा/बेगूसराय/सासाराम/जहानाबाद/जमुई/केन्द्रीय भवन प्रमंडल/बांका/किशनगंज/पूर्णिया/विद्युत कार्य प्रमंडल, दरभंगा/संरचना भवन प्रमंडल, दरभंगा/गोपालगंज/सीवान/समस्तीपुर/खगड़िया/गया/उद्यान प्रमण्डल/छपरा/संरचना प्रमंडल–2 को छोड़कर)

पटना, दिनांकः– 2.2.18

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित Writ petition (s) N0-318/2006 National Campaign Committee C.L. Labour Versus Union of India & others के निदेश के आलोक में लंबित जमा उपकर (Cess) की राशि अविलम्ब बोर्ड का Transfer करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–8699 दिनांक–22.09.2017, पत्रांक–203(भ0) दिनांक 08.01.2018 एवं पत्रांक–593 दिनांक–18.01.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के माध्यम से श्रमायुक्त, बिहार, पटना द्वारा प्रेषित ज्ञापांक–602 दिनांक–24.08.2017 की प्रतिलिपि संलग्न कर आपसे सम्बद्ध विषय के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। पत्रांक–203(भ0) दिनांक–08.01.2018 एवं पत्रांक–593 दिनांक–18.01.2018 के माध्यम से स्मारित भी किया गया है, जो कि अब तक अप्राप्त है। उपर्युक्त संदर्भ में आपको पूर्व में ही विभागीय प्रधान सचिव द्वारा दिये गये निदेश से अवगत कराया जा चुका है। परंतु अब तक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जोकि काफी गंभीर मामला है।

अतएव विभागीय निदेश दिया जाता है कि तीन दिनों के अन्दर संदर्भित प्रतिवेदन विभाग को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने सुनिश्चित करें। यदि संबंधित प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध नहीं कराने से किसी विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाज

1/2/18

(चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 1092(अ)

पटना, दिनांक– 2.2.18

प्रतिलिपि–सभी मुख्य अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि वे अपने स्तर से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निदेश प्रदान करने की कृपा करेंगे।

01/2/18